निर्वाचन व्यय अनुश्रवण

विधान सभा सामान्य निर्वाचन– 2012

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0
लखनऊ

निर्वाचन व्यय

- और यदि लेखा अशुद्ध या असत्य पाया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा–10 क के अधीन उसे निरर्हित किया जा सकता है।
- आधार :

1. यदि अभ्यर्थी ने निर्धारित समय में एवं निर्धारित प्रकार से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया लेखा अशुद्ध एवं असत्य है।

यदि आयोग इस बात से संतुष्ट होता है कि अभ्यर्थी द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत किये जाने में विफल होने का कोई कारण नहीं है तो आयोग अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10(क) के अन्तर्गत 3 वर्ष के लिये निरर्हित कर सकता है।

- प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय हेतु किसी भी बैंक/पोस्ट आफिस में एक खाता पृथक से खोलना। लेकिन न खोलने पर नामांकन अवैध नहीं।
- निर्वाचन व्यय से सम्बंधित 20000 से अधिक प्रत्येक भुगतान हेतु क्रास एकाउण्ट पेयी चेक से ही भुगतान करना सुनिश्चित करे।
- निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ बैंक खाते की प्रमाणित प्रति संलग्न करे।
- एजेण्ट के साथ संयुक्त खाता किसी भी बैंक में राज्य के भीतर खोल सकता है। परिवार के साथ नहीं।
- **पूर्व से संचालित बैंक खाता निर्वाचन व्यय प्रयोगार्थ नहीं किया जा सकता है।**
- जिला निर्वाचन अधिकारी बैंक/पोस्ट आफिस अधिकारियों को शीघ्रता से एकाउण्ट खोलने हेतु एक प्रथक काउन्टर खोलने हेतु निर्देशित करेंगे।

व्यय प्रेक्षक

_इसकी नियुक्ति कमीशन द्वारा होगी :

- व्यय प्रेक्षक आयोग की ऑख और कान हैं।
- निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की दो अथवा अधिक विधानसभा की निगरानी के लिये उत्तरदायी होगा।
- जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई सूची से वह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त करेगा।
- वह सहायक व्यय प्रेक्षक को प्रषिक्षित करेगा तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई विभिन्न टीम के कार्यों का निरीक्षण करेगा।
- वह आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय, पुलिस के नोडल अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, राज्य उत्पाद शुल्क के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा।
- वह संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता करेगा।

व्यय प्रेक्षक का दौरा

- **प्रथम भ्रमण :** निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के एक दिन के अन्दर निर्वाचन क्षेत्र में पहुँचना होगा और निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति तक रहेना।

- **द्वितीय भ्रमण:** वह परिणामों की घोषणा के 30 दिन उपरान्त एक बार फिर जिले में जायेगा तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखों की संवीक्षा में सहायता प्रदान करेगा। वह तब तक वहॉ रूकेगा जब तक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यय लेखे की संवीक्षा पूर्ण की जाती है।

निर्वाचन व्यय लेखा

- आर0 ओ0 तीन नये प्रारुपो अर्थात दिन–प्रतिदिन लेखा, नगद पंजी एंव चेक पंजी रजिस्टर देगा।
- अभ्यर्थी द्वारा अनुरक्षित लेखे के निरीक्षण हेतु आर0ओ0 पर्याप्त समय पूर्व 3 तिथियॉ घोषित करेगा।
- दो निरीक्षण के बीच 3 दिनों से अधिक का अन्तर नहीं होगा एवं निरीक्षण इस प्रकार से किया जायेगा कि निरीक्षण में व्यय का बड़ा भाग सम्मिलित हो जाय।

निर्वाचन व्यय लेखा

- अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय हेतु पृथक से एजेण्ट रख सकता है।
- निरीक्षण पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक केवल आर0ओ0 के कार्यालय कक्ष या कार्यालय के अन्य कक्षों में किया जायेगा न कि गेस्ट हाऊस में।
- उसके सम्पर्क नम्बर एवं निरीक्षण का समय का व्यापक प्रचार कराया जायेगा।
- सहायक व्यय प्रेक्षक, छाया प्रेक्षण रजिस्टर एवं साक्ष्यों के फोल्डर के साथ उपस्थित रहेगा।
- निरीक्षण केवल व्यय प्रेक्षक द्वारा किया जायेगा एवं जहॉ वह निरीक्षण के लिये उपलब्ध न हो, उसके कारण आयोग को सूचित किये जायेंगे।

निर्वाचन व्यय लेखा

- विभिन्न टीमों द्वारा इकट्ठा किये गये साक्ष्यों के आधार पर अधिक व्यय के प्रकरण यदि कोई हो, का विवरण अभ्यर्थी द्वारा अनुरक्षित किये गये व्यय रजिस्टर में वह लिखित रूप में अंकित करेगा।
- आयोग निरर्हितीकरण की कार्यवाही के समय रजिस्टर में व्यय प्रेक्षक द्वारा अंकित समालोचना को संज्ञान में लेगा।
- वह छाया प्रेक्षण रजिस्टर पर अभ्यर्थी या उसके एजेण्ट के हस्ताक्षर भी करायेगा।
- पेड न्यूज के उद्धरण भी रजिस्टर में अंकित किये जायेंगे और आयोग को ऐसी न्यूज की प्रतियों के साथ विवरण प्रेषित किया जायेगा।

उड़न दस्ता

- अवैधानिक निर्वाचन व्यय कि जॉच करने, व्यय एंव मीडिया प्रमाणन एंव अनुवीक्षण की शिकायतो पर उपस्थित होने हेतु उड़न दस्ता होगा।
  - निर्वाचन व्यय उल्लंघन की सभी शिकायतों के अतिरिक्त सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र /परगना में एम.सी.सी. की शिकायतों में उपस्थिति होगा।
  - (जिला स्तरीय व्यय अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं काल सेन्टर, सीधे प्राप्त हुयी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त हुयी शिकायतों को टेलीफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर के साथ अग्रसारित करेंगे)
  - शिकायतों के प्राप्त होने पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करेगा।जब कभी दस्ते को आधे घण्टे के अन्दर, घटना स्थल पर पहुँचना सम्भव न हो तो उड़न दस्ता जनपद की (स्टैटिक) स्थायी टीम या एस.एच.ओ. को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु कहेगा, और सूचना प्राप्त करेगा।
  - उड़न दस्ता, स्टैटिक (स्थायी) टीम या एस.एच.ओ. द्वारा स्थल पर सम्पूर्ण कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। किसी संदेह या पुर्नस्पष्टीकरण हेतु शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा।

उड़न दस्ता

- उड़न दस्ता कृत कार्यवाही से जिला नियंत्रण कक्ष /काल सेन्टर को अवगत करायेगा एवं दैनिक क्रिया कलापों का विवरण (अनुलग्नक–8) , पुलिस अधीक्षक /जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा एवं उसकी प्रति व्यय प्रेक्षक को भी देगा।
- यदि उड़न दस्ता स्थायी टीम को जहॉ संदेह हो कि नगद या अन्य वस्तु का प्रयोग सी0आर0पी0सी0 /भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत इनको जब्त करने पर विचार करेगा। और नगद को, कोर्ट के निर्देशानुसार कोषागार में जमा करेगा।
- यदि कोई अपराधिकता का संदेह नहीं होता है तो जनपद में इस निमित्त तैनात आयकर के कर्मचारियों की सहूलियत के लिये उन्हें तत्काल सूचित किया जायेगा ताकि वे आयकर के प्राविधानों के अन्तर्गत उनसे पूछतॉछ कर सकें।
- न्यायालय द्वारा नगद को अवमुक्त करने के निर्देष होने की दशा में, आयकर विभाग के कर्मचारियों को पर्याप्त पूर्व में सूचित कर दिया जायेगा ताकि आयकर के प्राविधानों के अन्तर्गत नगद अधिसूचित न किये जाने की दशा में उसे जब्त किया जा सके।

स्थायी निगरानी टीम

- प्रत्येक पुलिस स्टेषन के अन्तर्गत स्थैटिक निगरानी टीम बनायी जायेगी जिसमें 3–4 पुलिस कर्मचारी एक–एक वीडियोग्राफर होगा।
- स्थैटिक निगरानी टीम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनांक से कार्य करना प्रारम्भ कर उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होने तक कार्य करेगी।
- मुख्य/प्रवेश करने वाली सड़कों पर जॉच चौकी बनाये जाने हेतु यह उत्तरदायी होगी। ताकि अवैधानिक नगद, शराब, शस्त्र या भारी मात्रा में उपहार की वस्तुयें जो मतदाताओं को वितरण के निमित्त हो, को रोका जा सके।
- **जॉच चौकी की स्थापना में कुछ तत्व होना चाहिये ताकि कोई भी इसके स्थापना का अंदाजा न लगा सके। उड़न दस्ता द्वारा (स्थायी टीम) जॉच चौकी की स्थापना का प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा कि एक ही सड़क पर दो जॉच चौकी बनाने एवं एक ही यात्री /वाहन की दुबारा जॉच से बचा जा सके।**
- जॉच चौकी की सम्पूर्ण गतिविधियों की वीडियोग्राफी की जायेगी और डी0वी0डी0 व्यय प्रेक्षक को साक्ष्य के फोल्डर में रखने हेतु सौप दी जायेगी।
- जनता को कोई भी सदस्य पूछतॉछ कर सकता है एवं रू0 300 जमा करके किसी भी दिन की डी0वी0डी0 /सी0डी0 की प्रति प्राप्त कर सकता है।
- यह प्रत्येक दिन की गतिविधियों का विवरण निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक–9) में पुलिस अधीक्षक/रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध करायेगी।

एस0ओ0पी0

- जब्त की गयी नगद धनराशि को कोषागार में या न्यायालय के निर्देशानुसार निर्दिष्ट प्रकार से जमा किया जाना चाहिये।
- जिला निर्वाचन अधिकारी, कोषागार को कार्यालय समय के बाद एवं अवकाश के दिनों में नगद जमा करने हेतु निर्देष जारी करेंगे।
- यदि नगद ले जाने वाला कोई व्यक्ति, धनराषि के श्रोत के अभिलेख या इसके अन्ततः उपभोग के, अभिलेख प्रस्तुत करता है या नगद किसी आकस्मिकता हेतु ले जाया जा रहा है। तो उचित अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त जब्ती की कार्यवाही प्रभावी नहीं होगी। आयोग भविष्य में इन अभिलेखों की मांग कर सकता है।
- उड़न दस्ता या स्थायी निगरानी टीम द्वारा कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी एवं तेज आवाज में बोल कर, व्यक्ति का नाम पता एवं धनराशि को रिकार्ड किया जायेगा।
- वीडियोग्राफी, वीडियो क्यू शीट के साथ, लेखा टीम को, साक्ष्य के फोल्डर में रखने हेतु दी जायेगी।

एस0ओ0पी0

- यदि जब्त नगद को न्यायालय के आदेश से अवमुक्त किया जाना हो तो अवमुक्त के पूर्व आयकर के जब्ती अधिनियम की धारा 132ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु जनपद प्रभारी सहायक निदेशक को सूचित किया जाना चाहिये।
- यदि अपराधीकरण का संदेह नहीं होता है एवं धनराशि रू0 2,50,000 से अधिक है तो आयकर के कर्मचारियों को सूचित करना चाहिये एवं व्यक्ति को आयकर के कर्मचारियों के आने तक रोकना चाहिये।

4.7.5 का संशोधन दिनांक 29.12.2011

(ज) (i)– यदि फ्लाइंग स्क्वायड/निगरानी दल द्वारा ऐसी नकदी पकड़ी जाती है, जो किसी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी से सम्बन्धित हो और अपराध का संशय हो कि वह नकदी निर्वाचकों में वितरित किए जाने हेतु इस्तेमाल हो सकता है, तो नकदी, बिना धनराशि की सीमा के, फ्लाइंग स्क्वायड/निगरानी दल द्वारा जब्त की जाएगी।

(ii)– यदि प्राप्त नकदी रू0 2.50 लाख तक का है और राजनैतिक दल अथवा किसी प्रत्याशी से जुड़ी नहीं है तथा कोई अपराध का संशय नहीं है, जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है, और नकदी के श्रोत एवं/अथवा अन्तिम उपभोग (end-use) हेतु उचित/पर्याप्त दस्तावेजों के साथ ले जाया जा रहा है, तो नकदी जब्त नहीं होगी। फिर भी नकदी को अवमुक्त करने के पूर्व निम्नलिखित अभिलेख एकत्रित कर परीक्षण किया जाना होगाः–

अ) व्यक्ति के पहचान हेतु कोई साक्ष्य/पैन कार्ड।

ब) घर/दफ्तर/कार्यालय/व्यवसाय के पते का प्रमाण।

4.7.5 का संशोधन दिनांक 29.12.2011 ...क्रमशः

स) नकदी के श्रोत के लिए स्पष्टीकरण, जैसे बैंक से आहरण पर्ची की प्रति, पासबुक आदि।

द) नकदी के ले जाने का प्रयोजन एवं उससे जुड़ा अन्य कोई प्रमाण।

उपरोक्त सूचना संलग्नक प्रपत्र (संलग्नक–अ) में प्राप्त की जाएगी और आयकर के नोडल अधिकारी को उसी दिन आगे सत्यापन हेतु अग्रेसित की जाएगी।

(iii)– यदि नकदी जिसे पकड़ा जाता है, रू0 2.50 लाख से अधिक है, उसका किसी प्रत्याशी, राजनीतिक दल से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं कोई अपराधिता का संशय नहीं है, तो आयकर प्राधिकारियों को, इस प्रकार के किसी मामलें में ऐसी किसी नकदी को अवमुक्त करने के पहले, ऐसे सभी मामलों में शामिल किया जाएगा और आयकर प्राधिकारी ऐसे नकदी की धनराशि को बिना उचित लेखे के पाए जाने पर आयकर कानून के अनुसार जब्त करने हेतु तत्काल कार्यवाही करेगें।

4.7.5 का संशोधन दिनांक 15.01.2012

ज(एक)– स्थैतिक निगरानी दलों (एस0एस0टी0) का सम्पूर्ण ऑपरेशन कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जायेगा और उसकी वीडियोग्राफी भी की जायेगी। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना और सम्पूर्ण प्रक्रिया का वीडियो रिकार्डिंग किये बिना ऐसी कोई जांच नहीं की जायेगी। अगले दिन वीडियो रिकार्ड, रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जायेगा, जो उक्त वीडियो रिकार्ड को पश्चातवर्ती समय में आयोग द्वारा सत्यापन किये जाने के लिये सुरक्षित रखेगा।

ज(दो)– इस तथ्य को प्रत्येक जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यापक रूप में विज्ञापित किया जायेगा कि स्थैतिक निगरानी दल (एस0एस0टी0) द्वारा जांच, किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में निर्वाचन के दिनांक तक की जा रही है और जनता डी0वी0डी0 की प्रतिलिपि 300/– रूपये जमा करके प्राप्त कर सकती है।

4.7.5 का संशोधन दिनांक 15.01.2012 ...क्रमशः

ज(तीन)– महिलाओं के पास स्थित पर्सों की जांच नहीं की जायेगी। बैगेज की जांच करने के दौरान, स्थैतिक निगरानी दल (एस0एस0टी0) नम्र, शिष्ट और शालीन रहेगा।

ज(चार)– यदि अपराध की आशंका हो या यदि किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल के साथ किसी प्रकार के गठजोड़ आशंका हो कि मतदाताओं को रिश्वत देने के लिये नकदी का प्रयोग किया जा सकता है तो सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि किसी अपराध की आशंका न हो और न ही किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल के साथ किसी प्रकार के गठजोड़ की आशंका हो और नकदी 2.5 लाख रूपये तक हो, तो जब्ती प्रभावी नहीं होगी।?

ज(पांच)– यदि पायी गयी नकदी 2.5 लाख रूपये (दो लाख पचास हजार रूपये) से अधिक हो और जिसका जुड़ाव किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल से न हो और जिसके लिये किसी अपराध की आशंका न हो तो ऐसी किसी नकदी को छोड़े जाने से पूर्व ऐसे मामलों में आयकर प्राधिकारियों को लगाया जायेगा और आयकर प्राधिकारी, यदि वे सम्यक् रूप से उक्त धनराशि का लेखा–जोखा दिया हुआ नहीं पाते हें, आयकर विधियों के अनुसार उक्त नकदी को जब्त करने की तत्परतापूर्वक कार्यवाही करेंगे। उक्त धनराशि को छोड़े जाने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नक–क) घोषणा–पत्र प्राप्त करना होगा।

4.7.5 का संशोधन दिनांक 15.01.2012 ...क्रमशः

ज(छः)– तथापि, निम्नलिखित मामलों में नकदी की जब्ती नहीं की जायेगीः–

(क)– यदि कोई व्यक्ति अपने कारबार के स्थान से नकदी, बैंक में जमा करने के प्रयोजनार्थ, बैंक ले जा रहा हो और नियमित नकदी जमा को दर्शाने के लिये पैन कार्ड/व्यवस्था पंजीकरण प्रमाणपत्र और बैंक पास बुक/कैशबुक विवरण और प्रतिलिपि जैसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है, तो धनराशि पर ध्यान दिये बिना कोई जब्ती प्रभावी नहीं होगी। तथापि, उपर्युक्त दसतावेजों की प्रतियों सहित, निर्धारित प्रारूप में धोषणा पत्र (अनुलग्नक–क), नकदी को अवमुक्त किये जाने के पूर्व उस व्यक्ति से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। धनराशि को बैंक में जमा करने के पश्चात् उक्त व्यक्ति के लिये बैंक जमा पर्ची की प्रतिलिप, सम्बन्धित स्थैतिक निगरानी दल (एस0एस0टी0) को जमा करना आवश्यक होगा।

(ख)– यदि किसी अपराध की आशंका न हो और किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल के साथ किसी प्रकार के जुड़ाव की आशंका न हो, और बैंक तथा शाखा के नाम सहित बैंक आहरण पर्ची/बैंक पास बुक/बैंक विवरण के साथ–साथ ले जाई गयी नकदी को इस रूप में दर्शाया जाये कि उक्त नकदी उसी दिन आहरित की गयी है तो जब्ती प्रभावी नहीं होगी। तथापि, उक्त व्यक्ति को बैंक दस्तावेजों और व्यक्ति/संगठन के पहचान की प्रतिलिपि के साथ ही साथ निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र (अनुलग्नक–क) प्रस्तुत करना होगा।

4.7.5 का संशोधन दिनांक 15.01.2012 ...क्रमशः

(ग)– किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा उपचार के प्रयोजन के लिये ले जाई जा रही नकदी को जब्त नहीं किया जायेगा, बशर्ते कि वह व्यक्ति चिकित्सा हेतु भर्ती/चिकित्सा उपचार के प्रमाण सहित निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र (अनुलग्नक–क) प्रस्तुत करें।

(घ)– विवाह के प्रयोजन के लिये ले जाई जा रही किसी नकदी को तब जब्त नहीं किया जायेगा यदि सम्बन्धित व्यक्ति विवाह समारोह को प्रमाणित करने के लिये विवाह निमंत्रण/कल्याण मण्डप बुकिंग/कोई अन्य कागजात जैसे दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र (अनुलग्नक–क) प्रस्तुत कर दें। विवाह के प्रयोजन के लिये या व्यक्तिगत प्रयोजन के लिये ले जाई जा रही ज्वैलरी/सोना–चांदी को जब्त नहीं किया जायेगा और व्यक्ति की पहचान तथा निर्धारित प्रारूप में घोषणा–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

ज(सात)– स्थैतिक निगरानी दल (एस0एस0टी0) या आयकर विभाग द्वारा जब्ती किये जाने की स्थिति में अपील प्राधिकारी, जिससे व्यक्ति शिकायत निवारण के लिये अपील कर सकता है, जिले का क्रमशः परगना उप जिलाधिकारी/अपर आयकर का संयुक्त निदेशक (अन्वेषण) (जिले का प्रभारी) होगा। अपील प्राधिकारी मामले की सुनवाई करेगा और शिकायत निवारण के लिये उचित कदम उठायेगा। अपील प्राधिकारी के नाम और पता को जब्ती सूची में उल्लिखित किया जायेगा।

जब्तीकरण में आयकर विभाग हेतु एस.ओ.पी.

- नगद के हस्तान्तरण के समय आयकर के कर्मचारी स्थानीय सतर्कता भी प्राप्त करेंगे एवं स्थैतिक निगरानी टीम एवं उड़न दस्ता द्वारा जहॉ नगद पाया जाता है, वहॉ भी पहुॅचेंगे।
- यदि आयकर के कर्मचारी नगद को चालान के द्वारा जमा करने का निर्णय लेते है नगद को जमा करने वाले बैंक तक ले जाने हेतु उड़न दस्ता दिया जायेगा। एवं जिससे नगद प्राप्त किया गया हो उसे चालान दिया जायेगा।
- अवकाश के कारण यदि नगद को उसी दिन, बैंक में जमा करना सम्भव न हो तो कोषागार नगद को बैंक में जमा होने तक संयुक्त हस्ताक्षर से सील्ड (कवर) लिफाफा में रखेगा।
- यदि सतर्कता के आधार पर भारी मात्रा में नगद मिलने की सम्भावना हो या उड़नदस्ता या स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा जूलूस, तलाशी या जब्ती अभियान में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है तो आयकर विभाग द्वारा कार्यालय एंव घर दोनों में जब्ती अभियान चलाया जायेगा।
- व्यक्ति जिसका नगद एवं बहुमूल्य वस्तुयें जब्त की जाती हैं तो पंचनामा एवं अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पता उसे दिया जायेगा।
- आयकर विभाग निर्वाचन वाले राज्यों के सभी हवाई अड्डों पर एअर इन्टेलीजेन्स यूनिट खोलेगा एवं निर्वाचन वाले राज्यों में हवाई जहाज, हेलीकाप्टर के द्वारा नगद के लाने ले जाने पर नजर रखेगा।

आयकर विभाग के लिये एस.ओ.पी.

- यदि हवाई अड्डे पर 10 लाख से अधिक नगद पाया जाता है आयकर विभाग इसे जब्त करेगा। सी0आई0एस0एफ0 आवष्यक सहायता उपलब्ध करायेगा।
- यदि आयकर नियमों के अन्तर्गत इसे जब्ती करना सम्भव न हो तो आयकर विभाग सम्बंधित राज्य के मु0नि0अ0 को जब्त करने हेतु सूचना प्रेषित कर देगा।
- आयकर विभाग होटल, फार्म हाऊस के द्वारा नगद के आदान–प्रदान पर कड़ी दृष्टि रखेगा एवं उनसे प्रतिदिन सूचना एकत्र करेगा। यदि कही बड़ी मात्रा में नगद की सम्भावना हो तो इसे जब्त करने हेतु कार्यवाही करेगा।
- निर्वाचन वाले राज्यो में आयकर विभाग वित्त ब्रोकर या/एंव हवाला आपरेटर पर कडी दृष्टि रखेगा
- यदि नगद या उपहार वितरण की कोई सूचना उनके द्वारा प्राप्त होती है अथवा तो व्यापारिक भवन या निवास पर भारी मात्रा में नगद पाया जाता है तो उड़नदस्ता एंव पुलिस की सहायता से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी
- यदि भारी मात्रा में बैंक से धनराशि की निकासी अधिसूचित की जाती है तो आयकर विभाग आयकर के नियमो के अधीन आवश्यक जॉच एंव छानबीन करेगा

आयकर विभाग द्वारा सत्यापन

- जनता से षिकायतें प्राप्त करने के निमित्त महानिदेशक आयकर (अनुवेषण) टोल फ्री नम्बर के साथ अनवरत (24X7) काल सेन्टर खोलेगा। एवं नम्बर का प्रचार करेगा। 18001805132
- आयोग के द्वारा सभी षिकायतें एवं उस पर कृत कार्यवाही को भविष्य में निरीक्षण हेतु सुरक्षित किया जायेगा।
- यदि भारी मात्रा में नगद या उपहार सामग्री संदिग्ध होती है तो निदेशालय स्वतंत्र रूप से जॉच कर सकता है एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायेंगे।
- **अन्य शिकायत जिनमें धनराशि कम मात्रा में हो, उसे जिला शिकायत अनुवीक्षण सेल को प्रेषित कर दिया जायेगा।**
- जिला निर्वाचन अधिकारी भारी मात्रा में बैंक से नगद आहरण की सूचना, आयकर विभाग को जॉच हेतु प्रेषित करेगा जिसकी अनुवेषण निदेशालय द्वारा जॉच की जायेगी।

शराब के उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण का अनुवीक्षण

- आयकर विभाग पंजीकृत राजनैतिक पार्टियों की सूची प्राप्त करेगा एवं निर्वाचन की घोषणा के 2 सप्ताह के अन्दर पार्टियों द्वारा डोनेशन प्राप्त करने किन्तु आयकर रिटर्न दाखित न करने वाले की सूचना आयोग को प्रेषित करेगा।
- निर्वाचन की घोषणा की तिथि से विदेशी शराब, बीयर एवं देसी शराब का उत्पादन, निकासी, थोक एवं फुटकर व्यापारियों की भण्डारण सीमा का जनपदवार अनुवीक्षण किया जायेगा।
- शराब की दुकानों के खुलने एवं बन्द होने के समय की सघनता से अनुवीक्षण किया जायेगा।
- आबकारी विभाग के विशेष प्रवर्तन दल द्वारा सड़क परिवहन जॉच चौकी एवं सीमा जॉच चौकी पर रात्रि के समय गाड़ियों के आवागमन सघन जॉच की जायेगी।
- अवैध शराब को जब्ती हेतु छापा डालना।

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय

- उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन सं0 2011 की 8022 में माना है –

याची (Respondent) (भारत निर्वाचन आयोग) की जिम्मेदारी है कि निर्वाचन आचार संहिता का सही ढंग से पालन हुआ है। नियमों के कड़ाई से पालन के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निर्दोष व्यक्ति को निशाना न बनाया जाय अतः निर्वाचन आयोग राज्य की भाषा में उपरोक्त प्राविधानों के बारे में प्रकाशित करेगा। साथ ही जब भी जब्ती होती है यह बताया जाना चाहिये कि नागरिक किसके पास जायेगा तथा क्या–क्या विवरण देगा। यह भी अपेक्षा की जाती है कि जब जब्ती की जाती है (जैसे कि Impugned Notice) तो निर्वाचन अधिकारी अपने आदेश में अंकित करेगा कि अगली कार्यवाही क्या होगी। उदाहरणार्थ उसे किस अधिकारी के पास जाना है आदि–आदि और उपरोक्त विवरण केवल यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक नहीं है कि निर्वाचन में सही ढंग से लागू हो गया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निर्दोष एवं उचित व्यक्ति को कोई दुष्परिणाम न हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रादेशिक भाषा में आग्रह

निर्वाचन के समय जन सामान्य से आग्रह

नगद,शराब या अन्य कोई वस्तु या रिष्वत मतदाता को प्रभावित करने के लिए दी जाती है तो उसे प्राप्त करने वाला व देने वाला भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डित होगा। उड़न दस्ते प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत नकद, शराब या अन्य कोई वस्तु निर्वाचन क्षेत्र में वितरित की जाती है तो उस पर निगरानी रखेंगे।

यह भी आग्रह किया जायेगा कि निर्वाचन के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में नकदी ले जाई जाती है तो उसके तर्कसंगत अभिलेख जैसे–आहरण पर्ची, पासबुक, पैन नम्बर की प्रति , बिल तथा बाउचर तथा शादी कार्ड , चिकित्सीय परामर्श पर्ची/बिल कि अमुक राशि का प्रयोग इस निमित्त है ताकि उड़न दस्ते द्वारा उसको जब्त करने से बचा जा सके।

व्यय अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर

- शिकायतें प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर 24 घण्टे सातों दिन टोल फ्री कॉल सेन्टर कार्य करेगा।
- कॉल सेन्टर का प्रभारी एक वरिष्ठ अधिकारी होगा जिसके पास पर्याप्त जनशक्ति व टेलीफोन लाइनें होगी । शिकायत अनुश्रवण केन्द्र अधिसूचना होने की तिथि से कार्य शुरू करेगा तथा विभिन्न टीमें जो कार्य कर रही हैं उनसे संवाद स्थापित करेगा।
- सभी व्यय अनुवीक्षण से सम्बंधित शिकायतें उड़न दस्ते या सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित होगी तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक व व्यय प्रेक्षक को एम0एम0एस0 द्वारा सूचना होगी।
- आदर्श आचार संहिता से सम्बंधित सभी शिकायतें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित होगी जिसकी प्रति सामान्य प्रेक्षक को होगी।
- **दैनिक कार्यवाही रिपोर्ट संलग्नक 13 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत होगी।**
- सभी काल भविष्य में निस्तारण हेतु दर्ज की जायेगी।

राजनैतिक दलों के साथ बैठक

- जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन घोषणा के 3 दिन के अन्दर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर आयोग द्वारा जारी नये कानून व प्राविधानों को बतायेगा तथा अनुदेशों पर सार संग्रह की एक प्रति भी देगा।

- जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्यय की विभिन्न मदों की दरों के बारे में चर्चा करेगा तथा दरों की अभिसूचना जारी करने से पूर्व वह उनके सुझावों को भी मानेगा।

प्रशिक्षण

- जि0नि0अ0 रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय या अपने स्वयं के कार्यालय में निर्वाचन अभिकर्ताओं /प्रत्याशियों को 2 प्रशिक्षण व्यय अनुवीक्षण सेल द्वारा व्यवस्थित किया जायेगा।
- प्रथम प्रशिक्षण नामॉकन प्रप्त्रों की जॉच या नाम वापसी के तुरन्त उपरान्त कर आयोग द्वारा जारी विधिक प्राविधानों , प्रपत्रों व व्यय लेखा से सम्बंधित रजिस्टरों के रख रखाव करने व लेखों का निरीक्षण करने की तिथि के बारे में बतायेगा।
- द्वितीय प्रशिक्षण निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने की अन्तिम तिथि के 1 सप्ताह के अन्दर (परिणाम घोषणा के 20 दिन उपरान्त) सभी निर्वाचन एजेण्ट/अभ्यर्थी व्यय अनुवीक्षण में लगे सभी सदस्यों को जो लेखा प्राप्त करेंगे को फार्मों को भरने, शपथ पत्रों व निर्वाचन व्यय लेखा विवरणी तैयार करने तथा इनको प्रस्तुत न करने की दषा में विधिक प्राविधानों को अवगत कराया जायेगा।

संशोधित रजिस्टर का प्रारूप

- दिन प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय का प्रत्याशी द्वारा रख–रखाव हेतु प्रत्येक अभ्यार्थी को नामांकन के समय निर्वाचन व्यय राजिस्टर (संलग्नक–14) में दिया जायेगा ,इस रजिस्टर के 3 हिस्से होंगे।
- **भाग "क" दिन प्रतिदिन व्यय का लेखा (सफेद पन्ना)**
- **भाग "ख" नकद रजिस्टर (गुलाबी पन्नों वाला)**
- **भाग "ग" बैंक रजिस्टर (पीले पन्नों वाला)**

▪ भाग "क" में सभी प्रकार के अधिकृत खर्चे अनुरक्षित होंगे साथ ही कोई नकदी या वस्तु पार्टी या व्यक्ति से प्राप्त होती है तो उसको भी अंकित किया जायेगा।

▪ सम्पूर्ण धन सर्वोप्रथम बैंक खाते में जमा होगा।

▪ 20000 से ऊपर के सभी खर्चों का भुगतान निर्वाचन के दौरान चेक के माध्यम से होगा।

▪ **कोष की प्राप्ती के श्रोत्र को अंकित करना होगा।**

निर्वाचन व्यय मदों की दरों की अधिसूचना

- जिला निर्वाचन अधिकारी सभी राजनैतिक दलों से विचार–विमर्श करने के उपरान्त निर्वाचन व्यय के विभिन्न मदों की स्थानीय दरों की अधिसूचना अपने जिले में निर्वाचन घोषित होने के 3 दिन के अन्दर तथा नामॉकन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व किसी भी दशा में जारी करेगा।
- वह स्पष्ट कर देगा कि सामग्रियों की दर प्रत्याशियों द्वारा वही आकलित की जायेगी जो दरें अधिसूचना में है।
- सामग्रियों की दरों की लिस्ट आर0ओ0 द्वारा प्रत्याशी को नामांकन पत्र भरते समय देनी चाहिये।
- यदि किसी सामग्री की दर लिस्ट में नहीं है तो प्रत्याशी/ निर्वाचन एजेण्ट जिला निर्वाचन अधिकारी की जानकारी में लायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी उस दर की अधिसूचना हेतु समुचित कार्यवाही करेंगे।
- प्रत्याशी द्वारा इन प्रकाशित दरों की सूची में कोई आपत्ति होती है तो वह जि0नि0अ0 को अधिसूचना के 24 घण्टे के अन्दर सूचित करेगा।

निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण क्रमश.....

- रिटर्निंग आफीसर निर्वाचन प्रेक्षक या इस प्रयोजनार्थ व्यय प्रेक्षक के परामर्श से रिटर्निंग आफीसर पदाभिहित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर के निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार करेगा।
- यह सूचना व्यापक रूप से प्रसारित करनी होगी कि यदि नोटिस भेजे जाने के बावजूद अभ्यर्थी जॉच के लिये निर्वाचन व्यय रजिस्टर को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (आई) में शिकायत दर्ज की जायेगी।
- इस बात का भी प्रचार किया जाना चाहिये कि व्यय रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के सदस्य भी उपस्थित रह सकते हैं तथा कोई भी व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी से 1 रू0 प्रति पृष्ठ का भुगतान कर किसी भी अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर की प्रति प्राप्त कर सकता है।

छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्यों का फोल्डर

- छाया प्रेक्षण रजिस्टर का रख रखाव प्रत्येक अभ्यर्थी हेतु लेखा टीमों द्वारा सहायक व्यय प्रेक्षक के मार्गदर्शन करना होगा, प्रत्येक पृष्ठों उनकी संख्या व व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। (संलग्नक–11)
- सहायक व्यय प्रेक्षक छाया प्रेक्षण रजिस्टर का प्रतिदिन निरीक्षण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई विसंगति या कमी तो नहीं है।
- यदि यह पाया जात है कि अभ्यर्थी द्वारा निषिद्ध मदों पर व्यय किया गया है और रजिस्टर पर अंकित है तो विधि के संगत प्राविधानों के अधीन अभ्यर्थी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
- अभ्यर्थी के रजिस्टर का निरीक्षण करते समय छाया प्रेक्षण रजिस्टर उसको दिखाना चाहिये तथा उसके हस्ताक्षरयुक्त टिप्पणी छाया प्रेक्षण रजिस्टर देखे जाने की अंकित कराई जानी चाहिए।
- यदि प्रत्याशी या अन्य कोई छाया प्रेक्षण रजिस्टर/किसी साक्ष्य की प्रति चाहता है तो 1 रू0 प्रति पेज या रू0 300 प्रति सी0डी0 निरीक्षण उपरान्त प्राप्त कर सकता है साक्ष्य उसी दिन तक के प्राप्त किये जा सकते है जिस तारीख तक निरीक्षण हो चुका है।
- छाया प्रेक्षण रजिस्टर में सभी साक्ष्यों के सभी उद्धहरण स्पष्ट रूप से अंकित किए जायेंगे तथा उस रजिस्टर के सभी पृष्ठों पर सहायक व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर होंगे तथा उन पर नम्बर भी अंकित होंगे।

छाया प्रेषण रजिस्टर और साक्ष्यों का रख रखाव फोल्डर

- इस रजिस्टर को व्यय प्रेक्षक के निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करना होगा।
- साक्ष्यों के फोल्डर में सभी तरह की सूचना रखी जायेगी फोल्डर में दृष्य और श्रव्य सी0डी0, साक्ष्य, पेड न्यूज की कटिंग, प्रथम सूचना रिपोर्ट , अभ्यर्थी के जारी किये गये नाटिस तथा रेट चार्ट इत्यादि रखे जायेगा।
- यदि निरीक्षण के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अनुरक्षित निर्वाचन व्यय रजिस्टर में छाया प्रेक्षण रजिस्टर में कम राशि दर्ज पायी जाती है तो इसे छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रत्याशी या उसके एजेण्ट के हस्ताक्षर प्राप्त कर रिटर्निंग आफीसर नाटिस जारी करेगा।
- रिटर्निंग आफीसर छाया प्रेक्षण रजिस्टर से प्रत्याशी के द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर में विसंगति पाता है तो अभ्यर्थी को एक नोटिस जारी करेगा तथा उसे नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करेगा। अभ्यर्थी से प्राप्त जवाब को भी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा। जारी नोटिस व जवाब की प्रति 1 रू0 प्रति पेज भुगतान कर प्राप्त की जा सकेगी।

जन सभायें तथा रैलियाँ

- अभ्यर्थी को रैली आदि आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए दिये जाने वाले आवेदन के साथ अनुमानित होने वाले व्यय का विवरण रिटर्निंग आफीसर को संलग्नक–16 में दिये विवरण अनुसार देना होगा।
- अभ्यर्थी के अनुमानित होने वाले खर्चों की एक प्रति वीडियों निगरानी टीम को दी जायेगी ताकि वह वास्तविक होने वाले खर्चों का ऑकलन कर सके।
- वीडियों निगरानी टीम और लेखा टीम अभ्यर्थी द्वारा किये खर्चों के बारे में ऑकलन कर नोट तैयार करेगा।
- **सभी प्रमुख जनसभा और रैली की वीडियोग्राफी होगी।**
- नामांकन दाखिल करते समय रैली या जलूस के खर्चे शामिल होंगे।
- आम जनता जो किसी अभ्यर्थी की रैली/जलूस/जनसभा में बिना किसी से कोई भुगतान प्राप्त किये अपने निजी वाहन से बगैर भाड़े बैनर व प्रत्याषी की फोटो लगाये जाता है तो उसको खर्चे में नहीं जोड़ा जायेगा।
- **वाणिज्यिक वाहन यदि रैली में प्रयोग होते हैं तो उनका खर्चा जुड़ेगा।**
- **निजी वाहन, प्रचार वाहन के रूप में माना जायेगा तथा ईंधन और ड्राइवर के वेतन के रूप में बाजार दरों खर्चों को जोड़ा जायेगा।**
- एक से अधिक व्यक्तिगत वाहन प्रयोग की दशा में अधिसूचित दरों के अनुसार गणना होगी।

स्टार प्रचारक/हेलीकाप्टर

- वे सभी यात्री जो निजी विमान और निजी हेलीकाप्टर से यात्रा कर रहे है उनके सामानों की जॉच व फ्रिस्कींग से सम्बंधित नियमों का पालन हवाई अड्डों पर कर लिया जाय।
- अभ्यर्थी या पार्टी स्टार प्रचारको की हेलीकाप्टर या विमान से यात्रा करने के 3 दिन पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी को सुरक्षा की दृष्टि से सूचित करना होगा।
- निर्वाचन अधिसूचना के 7 दिनों के अन्दर आयोग या मु0नि0अ0 को स्टार प्रचारको की सूचना देनी चाहिये नहीं तो सम्बंधित स्टार प्रचारक जिस पार्टी से सम्बंधित है छूट नहीं मिलेगी।
- यदि स्टार प्रचारक प्रत्याशी के साथ यात्रा कर रहा है तो यात्रा व्यय का 50 प्रतिशत व्यय प्रत्याशी के खर्चे में जुड़ेगा।
- यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ मंच बॉटता है या मंच पर उसका पोस्टर या फोटो लगा है तो मीटिंग का व्यय प्रत्याशी के खर्चे में जुड़ेगा।

चुनाव प्रचार का अनुश्रवण समाचार पत्रों /इलेक्ट्रानिक मीडिया केबल नेटवर्क व एफ0एम0 चैनल के माध्यम

- राज्य स्तर पर आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान निजी एफ0एम0 चैनलों सहित सभी टी0वी0 चैनलों, केबल नेटवर्क और रेडियों में राजनैतिक प्रकृति के सभी विज्ञापन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित संविक्षा समिति से पूर्व अनुमति मिल जाने उपरान्त ही जा सकते हैं।
- यदि मीडिया अनुवीक्षण सेल, आदर्श आचार संहिता या व्यय अनुवीक्षण सेल को यह लगता है कि इस तरह का कोई विज्ञापन या डिस्प्ले किसी अभ्यर्थी के पक्ष में बिना मुख्य निर्वाचन अधिकारी की गठित टीम की अनुमति से प्रकाशित होता है तो वह तुरन्त रिटर्रिंग अधिकारी को सूचित करेगा।
- रिटर्निंग आफीसर अभ्यर्थी को आयोग के अनुदेशों का पालन न करने की नोटिस जारी करेगा।
- जिला निर्वाचन अधिकारी इसको भी सुनिश्चित करेगा कि इस तरह किये गये खर्चों को छाया प्रेक्षण रजिस्टर में सम्मिलित किया जायेगा।

पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण का अनुवीक्षण

- जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन घोषणा होने के 3 दिन के अन्दर अपने जिले के सभी मुद्रणालयों और समाचार पत्रों को लोक अधिनियम 1951 की धारा 127–क की अपेक्षाओं को इंगित करेगा।
- वह उनको सूचित करेंगे कि इनका उल्लंघन राज्य के संगत कानूनों के अन्तर्गत मुद्राणालयों के लाइसेन्स के प्रति संहरण की बड़ी कार्यवाही करेगा, उन्हें विषेष रूप से यह आदेशित करेगा : -
  - उनके द्वारा मुद्रित निर्वाचन पुस्तिकाए, पोस्टर्स , न्यूज रिपोर्ट आदि की प्रिन्ट लाइन पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम तथा पता अंकित करना होगा जिस आधार पर उनको भुगतान किया जाना है।
  - प्रकाशक /मुद्रक को वस्तु सामग्री छापने के 3 दिन के अन्दर 10 प्रतियॉ प्रत्येक की लोकअधिनियम 1951 की धारा 127(2) के अन्तर्गत जि0नि0अ0 को प्रेषित कर दी है।
- जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात की जॉच करेगा कि क्या प्रकाशक/प्रिन्टर ने आयोग के निर्देशों की अपेक्षाओं का पालन किया है।

पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण का अनुवीक्षण क्रमशः

- मुद्रित सामग्री की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होनी चाहिये ताकि राजनैतिक दल, प्रत्याशी या अन्य कोई इच्छित व्यक्ति उसको जॉच सके कि क्या नियम व विधिक प्राविधानों की पूर्ती हुई है।
- एक प्रति छाया प्रेषण रजिस्टर में दर्ज करने हेतु लेखा दल को प्रेषित किया जायेगा।
- प्राविधानों के उल्लघंन के सभी मामले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 177 "क" के प्राविधानों के अन्तर्गत अपराधियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी।
- मुद्रित सामग्री की एक प्रति छाया प्रेषण रजिस्टर में दर्ज करने हेतु व्यय प्रेक्षक को दी जायेगी।

निर्वाचन कार्यों के दौरान वाहनों के प्रयोग का अनुवीक्षण

- प्रत्येक प्रत्याशी को रिटर्निंग आफीसर के समक्ष उसके निर्वाचन प्रचार के लिये उसके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वाहनों का विवरण देना होगा।
- **दुपहिया वाहन (मोटर बाइक, स्कूटर, मोपेड) साइकिल रिक्शा आदि भी इन अनुदेशों के प्रयोजनार्थ वाहन माने जायेंगे।**
- छाया प्रेषण रजिस्टर में सम्मिलित करने हेतु इसे लेखा टीम को भी दिया जायेगा।
- यदि रिटर्निंग आफीसर की पूर्व अनुमति के बिना ही प्रचार के लिये वाहन का प्रयोग किया जाता है तो इसे अभ्यर्थी के अप्राधिकृत प्रचार माना जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 "ज" के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही होगी और उसे तत्काल प्रचार प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।
- इस प्रकार के वाहन व्यय का खर्चा भी छाया प्रेषण रजिस्टर में जोड़ा जायेगा।
- रिटर्निंग आफीसर द्वारा जारी अनुमति पत्र वाहन की सामने पट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- व्यक्ति विशेष अभ्यर्थी को दी गई अनुमति को दूसरे द्वारा प्रयोग किया जाता है तो सम्पूर्ण अवधि का खर्चा प्रयोग करने वाले के खर्चे में जोड़ा जायेगा।

बैरीकेड तथा मंच इत्यादि के निर्माण पर व्यय का अनुवीक्षण

- सुरक्षा कारणों की वजह से यदि बैरीकेड/मंच आदि का निर्माण सरकारी एजेन्सियों द्वारा किया जाता है तो उस अभ्यर्थी के व्यय खाते में दर्ज कर लेनी चाहिये जिसके निर्वाचन क्षेत्र में बैठक हुई है।
- जब किसी राजनैतिक पार्टी नेता के साथ मंच पर अभ्यर्थियों का पूरा समूह उपस्थित रहता है तो खर्च को उन सबके मध्य विभाजित।
- जिला निर्वाचन अधिकारी महत्वपूर्ण घटना के 3 दिनों के अन्दर सम्बंधित सरकारी ऐजेन्सी से व्यय का ब्यौरा प्राप्त कर अभ्यर्थियों को उनके हिस्से की सूचना देगा।
- स्टार प्रचारक यदि स्वयं अभ्यर्थी दोनों उसके द्वारा यात्रा में किया गया व्यय उसके निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायेगा।
- यदि कोई स्टार प्रचारक किसी दूसरी पार्टी के अभ्यर्थी के लिये प्रचार करता है तो उसकी यात्रा का व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा।
- यदि किसी एक पार्टी के स्टार प्रचारक की सभा में दो या दो से अधिक पार्टी के अभ्यर्थी उपस्थित होते हैं तो, उसका (स्टार प्रचारक का) यात्रा व्यय उसी पार्टी के अभ्यर्थी को छोड़ते हुये शेष अभ्यर्थियों में अनुपातिक रूप से बॉट दिया जायेगा।
- स्टार प्रचारक का होटल व्यय की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

- जिला निर्वाचन अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से रू0 01 लाख से अधिक के निकाली गयी संदिग्ध धनराशि को अवगत कराने हेतु सभी बैंक को निर्देश देगा।
- रू0 10 लाख से अधिक के नगद आहरण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयकर नियमों के अन्तर्गत जॉच हेतु, जनपद के प्रभारी सहायक निदेशक को प्रेषित किया जायेगा।

अन्य निर्देश

- यदि निर्वाचन प्रचार के समय कोई अभ्यर्थी किसी सामुदायिक भोज में भाग लेता है तो उसका समस्त व्यय उसके निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा।
- मण्डप एवं विवाह स्थल की बुकिंग पर अनुवीक्षण किया जायेगा।
- उपहार वस्तुओं एवं नगद कूपनों की सघन अनुवीक्षण किया जायेगा।
- स्वयं सेवी संस्था (एन0जी0ओ0) एवं एस0एच0जी0 द्वारा असामान्य रूप से निकाले/ जमा किये जायेगा।
- निर्वाचन के समय शासकीय स्कीम द्वारा मजदूरी (पारिश्रमिक) का वितरण केवल शासकीय कर्मचारी की उपस्थित में ही किया जायेगा।

अभ्यर्थी के द्वारा लेखा का अनुप्रेषण

- निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अन्दर अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा।
- अभ्यर्थी अपना निर्वाचन व्यय लेखा, अंग्रेजी, हिन्दी या स्थानीय भाषा में प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिये यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी उम्मीदवार अभ्यर्थी सभी फार्म/रजिस्टर/अपने लेखा विवरण के अनुप्रेषण से सम्बंधित सभी नियमों का सारांश निर्वाचक रोल हेतु स्वीकृत स्थानीय भाषा में उपलब्ध करा दिया गया है।
- निर्वाचन व्यय लेखा के विवरण की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर रखी जाय। जन सामान्य का कोई भी व्यक्ति रू0 1 प्रति पेज की दर से भुगतान कर उसकी छाया प्रति प्राप्त कर सकता है।
- **सभी अभ्यर्थियों के विवरणों के सारांश की द्वितीय कापी, अनुप्रेषण के 3 दिन के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेब साइट पर रखी जायेगी।**

अभ्यर्थी द्वारा व्यय का अनुप्रेषण क्रमशः.......

- काउन्टर पर लेखा को प्राप्त करते समय अधिकारी जॉच करेगा कि अभ्यर्थी या उसके एजेण्ट द्वारा जमा किया जाने वाला लेखा सभी अर्थों में पूर्ण एवं अभ्यर्थी द्वारा विधिवत सत्यापित है।

- कमी (यदि कोई हो) अभ्यर्थी या उसके एजेण्ट को तत्काल उसी स्थल पर अवगत करायी जानी चाहिये और अभिलेख, सही एवं पूर्ण लेखा नियमों में निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित करने हेतु लौटा दिया जाना चाहिये।

- व्यय के सभी मदों (वस्तुओं) के व्यय प्रमाणक साथ में संलग्न किये जाने चाहिये। कोई मद जिसका व्यय प्रमाणक संलग्न न हो, उसका कारण कि यह व्यय प्रमाणक प्राप्त करना व्यवहारिक न था, दिया जाय।

- लेखा के प्राप्ति की उचित पावती तिथि एवं समय अंकित करते हुये तुरन्त दी जाय यदि लेखा डाक से प्राप्त हो तो पावती लौटती डाक से प्रेषित किया जाय।

जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका

- आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के तीन दिन के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के मदों की दरे संसूचित करेगा जिसके आधार पर निर्वाचन व्यय का आंकलन किया जायेगा।
- आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा होने के तीन दिनों के अन्दर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पार्टियों के साथ व्यय अनुवीक्षण निर्वाचन से सम्बंधित विधिक प्राविधानों एवं इन प्राविधानों के अनुपालन न करने पर परिणाम के संदर्भ में एक मीटिंग करेगा।
- परिणाम की घोषणा होने के उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये निर्वाचन व्यय लेखा के विवरण को व्यय पुनरीक्षण टीम एवं प्रेक्षक की सहायता से जॉच करेगा एवं आयोग को सूचना प्रेषित करेगा।
- नगद को ले जाने हेतु लगाये गये प्रतिबन्ध को जन साधारण को अवगत करायेगा।
- नगद एवं अन्य उपहार वस्तुओं के वितरण के संदर्भ में मतदाता को जागरूक करने हेतु राष्ट्रीय युवक दल, राष्ट्रीय सेवा योजना दल एवं अन्य नागरिक संगठन को सम्मिलित करेगा।
- वह व्यय अनुवीक्षण टीम एवं निर्वाचन एजेण्ट में लगी हुयी जनशक्ति के प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका

- जि0नि0अ0द्वारा आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर के आधार पर डाटा इण्ट्री की जॉच रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
- लेखा के अनुप्रेषण के 3 दिन के अन्दर, साराशं विवरण की कापी बेवसाइट पर रखी जायेगी।
- व्यय प्रेषक से परामर्श कर जॉच रिपोर्ट को प्रेषित करेगा।
- आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निमित्त एस0ओ0आर0 एवं साक्ष्यों का फोल्डर सुरक्षित रखेगा।
- जहॉ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करायी जाय वहॉ कैश की निगरानी करेगा।
- जॉच के लम्बित प्रकरणों की मासिक सूचना प्रेषित करेगा।
- निर्वाचन के समय पार्टी (दलों) के व्ययों की सूचना अधिसूचना होने के 35 दिनों के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

धन्यवाद